

मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा "Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project" कुल खनन पट्टों की संख्या-8 (प्रस्तावित खनन पट्टे -3 व मौजूदा खनन पट्टे -5), क्लस्टर क्षेत्रफल-37.9149 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता- 63,09,553 टन प्रतिवर्ष (रोम), तहसील-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत दिनांक 11 जून 2024 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक के कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14-09-2006, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र क्रमांक आर.पी.सी.बी./आर.ओ. कोटा/माईन्स-233/3026-28 दिनांक 30/01/2024 व कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा के आदेश पत्र क्रमांक प.2() राजस्व-11/जनसुनवाई/24/712 दिनांक 26/03/2024 की अनुपालना में मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा "Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project" कुल खनन पट्टों की संख्या-8, क्लस्टर क्षेत्रफल-37.9149 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-63,09,553 टन प्रतिवर्ष (रोम), तहसील-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 11.06.2024 को भारत निर्माण राजीव गांधी रोवा केन्द्र, ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा में प्रातः 11:00 बजे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा द्वारा श्री मुकेश कुमार चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), जिला-कोटा की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई।

जन सुनवाई के लिए आम सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः राजस्थान पत्रिका, कोटा में दिनांक 06.05.2024, (परिशिष्ट-अ) एवं निरीक्षक, कोटा में दिनांक 01.05.2024, (परिशिष्ट-ब) को प्रकाशित करवाई गयी, प्रचार-प्रसार हेतु क्षेत्र में बैनर लगाए गए तथा दिनांक 30.06.2024 को वाहन के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी करवाया गया। जन सामान्य से आक्षेप/सुझाव सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर तक आमंत्रित किये गए थे।

जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारी-गण व क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य की उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (परिशिष्ट-'स') तथा जन सुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफ्स संलग्न है (परिशिष्ट-'द')।

जन सुनवाई मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंजमण्डी, जिला- कोटा के "Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project" के अन्तर्गत आने वाली कुल 8 खनन पट्टों जिनमें 3 प्रस्तावित व 5 मौजूदा खनन पट्टे हैं के लिए आयोजित कि गई है। उक्त 8 खनन पट्टों की विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार है-

Sr. No.	Name of Applicant	Location	Area in Hectare	Mineral	Proposed/ existing Production Capacity	M.L No	Tor Details
1	M/s ASI Industries Ltd.	Kumbhkot	6.7184	Lime Stone (Dimensional)	Proposed 754061 TPA (ROM)	M.L.No.11/2022, Ref.No.: 20221000063063	(LOI) SEIAA Letter No. F1(4)/SEIAA/SEAC-Raj/ Sectt/ Project/Cat.B1 (23441)/2023-24 dated 09/10/2023

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मंडल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

2	M/s ASI Industries Ltd.	Laxmipura	7.3234	Lime Stone (Dimensional)	Proposed 623176 TPA (ROM)	M.L.No.: 10/2022, Ref.No. 20221000063060	(LOI) SEIAA Letter No. F1(4)/SEIAA/BEAC Raj/ 80 ctt/ Project /Cat.B1 (23419)/2021-22 dated 06/12/2023
3	M/s ASI Industries Ltd.	Satalkheri, Durjanpura & Kudayala	3.9971	Lime Stone (Dimensional)	Proposed 1125220 TPA (ROM)	M.L.No.: 05/2022, Ref.No. 20221000060162	(LOI) SEIAA File No. AT000333 dated 23/08/2023
4	M/s ASI Industries Ltd.	Durjanpura	3.9854	Lime Stone (Dimensional)	Existing 802432 TPA (ROM)	M.L.No.:07/2018	(Existing) EC Granted
5	M/s ASI Industries Ltd.	Durjanpura	3.9958	Lime Stone (Dimensional)	Existing 1009560 TPA (ROM)	M.L.No.:06/2018	(Existing) EC Granted
6	M/s ASI Industries Ltd.	Durjanpura	3.9994	Lime Stone (Dimensional)	Existing 1087498 TPA (ROM)	M.L.No.:04/2018	(Existing) EC Granted
7	M/s ASI Industries Ltd.	Durjanpura	3.8954	Lime Stone (Dimensional)	Existing 571882 TPA (ROM)	M.L.No.:05/2018	(Existing) EC Granted
8	M/s ASI Industries Ltd.	Kumbhkot	4.0000	Lime Stone (Dimensional)	Existing 335724 TPA (ROM)	M.L.No.:05/2013	(Existing) EC Granted
Total			37.9149		6309553 TPA (ROM)		

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही को आरंभ करते हुए श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने सभी आगन्तुको का स्वागत किया। उन्होंने मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा "Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project" तहसील-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा में प्रस्तावित परियोजना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए संबंधित प्रावधानों तथा जनसुनवाई के उद्देश्यों के बारे में अवगत करवाया।

श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स एन.एस. इन्वायरो-टेक लैबोरेट्रीज व कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र सिंह नरुका को प्रस्तावित परियोजना के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने हेतु आमंत्रित किया।

इसके बाद पर्यावरणीय सलाहकार ने परियोजना से संबंधित निम्नलिखित विवरण विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए।

परियोजना का परिचय, परियोजना का प्रस्ताव, परियोजना की स्थिति, भौगोलिक स्थान स्थानीय भू-वैज्ञानिकी, सर्वेस प्लान, खनन प्रक्रिया के प्रकार, खनन क्षेत्र की विस्तृत जानकारी, मौसम मापन जलवायु सूचना अध्ययन, विद्यमान पर्यावरणीय दृश्य, सामाजिक आर्थिक पर्यावरण अध्ययन, भू-जल स्तर अध्ययन, खनन क्षेत्र की (वर्तमान, खनन के दौरान एवं खनन पश्चात) जमीन के उपयोग संबंधी अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव का पूर्वानुमान एवं विपरीत प्रभाव कम करने के तरीके, पर्यावरण मॉनिटरिंग कार्यक्रम, वृक्षारोपण एवं सामाजिक कार्यक्रम तथा पर्यावरण प्रदूषण रोकने व विकास कार्य हेतु खर्च की जाने वाली राशि के बारे में विस्तृत रूप से प्रोजेक्टर के माध्यम से जन सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय को बताया गया।

तत्पश्चात् श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा परियोजना प्रस्ताव से आग्रह किया गया कि उनकी मौजूदा खनन पट्टा संख्या 94/08 में आमागी वर्षा ऋतु

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल, कोटा

से पहले जमीन को चिन्हित करके राजस्थान सरकार की वनों के बाहर वृक्षारोपण (TOFIR) योजना के तहत सघन वृक्षारोपण किया जावे तथा इकाई के मौजूदा खनन पट्टों के ओवरबर्डन पर सीडिंग करायी जावे।

इसके पश्चात श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने उपस्थित ग्रामवासियों, जन समुदाय को उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

उपस्थित जन समुदाय से जन प्रतिनिधि गण एवं अन्य जनों ने अपने प्रश्न/संशय/आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत किये जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. श्री गुमान सिंह, सरपंच, ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वारा पूछा गया कि:-

- कंपनी द्वारा कितने पौधे लगाए गए व कहाँ लगाए गए।
- कंपनी द्वारा मजदूरों की सुरक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि के लिए क्या किया जा रहा है।
- पूर्व जन सुनवाई के दौरान जो वादे किये गए उनका क्या हुआ।

➤ श्री मुकेश कुमार चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा दी गई प्रस्तुतीकरण के आधार पर बताया गया की परियोजना के अंतर्गत 12000 पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है तथा पौधे आप द्वारा चिन्हित स्थानों पर भी लगाए जायेंगे जिससे आप सुनिश्चित कर सकेंगे की पौधे लगे या नहीं।

➤ श्री नरेंद्र सिंह नरुका पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया की भारत सरकार द्वारा गाईडलाइन जारी की गई है जिसके अंतर्गत पहले जनसुनवाई कर ग्रामवासियों की समस्या सुनी जाये तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो प्रस्ताव सुझाये गए है जैसे की श्रमिकों के लिए हेलमेट, हर छः महीने में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना, सामाजिक सरोकार के तहत जो राशि निर्धारित की गयी है उससे प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करवाये जायेंगे तथा उसकी अनुपालना रिपोर्ट सम्बंधित विभाग में जमा कराई जाएगी जो आपको भी उपलब्ध कराई जा सकती है। यह सब कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने उपरांत खनन कार्य प्रारम्भ करने के दौरान किये जायेंगे। इन सबके अतिरिक्त भी यदि आपके कोई अन्य सुझाव हैं तो आप लिखित में दे सकते हैं।

➤ श्री नरेंद्र सिंह नरुका पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया की पूर्व की जनसुनवाई इस परियोजना से सम्बंधित नहीं थी तथा वर्तमान में प्रस्तावित परियोजना में प्रावधान रहेगा की सामाजिक सरोकार के व्यय करने के बाद उसकी एक प्रति व वृक्षारोपण फोटो अनुपालना रिपोर्ट के साथ भेज दी जाएगी।

श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा बताया गया की इस प्रस्ताव की एक प्रति ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित की गई है। आप जरूरत के अनुसार इन विभाग से प्रति प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में यह परियोजना प्रस्तावित है और यदि संचालन के दौरान प्रस्ताव अनुरूप कार्य नहीं किये जाते है तो आप हमे इस सम्बन्ध में लिखित में दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त मौजूदा खनन पट्टों की शिकायत के सम्बन्ध में आक्षेप अलग से दिए जावें।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

2. ग्राम पंचायत, लक्ष्मीपुरा द्वारा प्रस्तुत तीन लिखित आक्षेप के सम्बन्ध में श्री गुरुश कुमार चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा बताया गया की प्रस्तुत आक्षेप में मुख्य रूप से गाँवों में मूलभूत सुविधाओं जैसे पीने के पानी की कमी, स्कूलों में क्लाररूम न बनवाने तथा कंपनी द्वारा पर्यावरण के लिए कभी पेड़ पौधे नहीं लगाए जाने का जिक्र किया हुआ है।

श्री एस.एम. मीना, महाप्रबंधक (ऑपरेशन), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि कंपनी द्वारा अधिकांश पौधारोपण हमारे खान के मलबे के ऊपर किये गए हैं। प्रस्तावित परियोजना के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा जमीन व जगह चिन्हित करके दी जाती है तो उस पर हम वृक्षारोपण करेंगे।

श्री गुमान सिंह, सरपंच, ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वारा सुझाव दिया कि लक्ष्मीपुरा गाँव में एक चारागाह भूमि के चारों ओर पत्थर की कोट की हुई है जिसमें कटीली झाड़ियाँ साफ कर अच्छी मिट्टी डालते हुए उपयोगी पौधे लगाए जाये जो आम जान के लिए भी काम आये व पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयोगी हो।

श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि पीने के पानी की उपलब्धता के लिए कंपनी द्वारा एक वाटर कूलर सरपंच द्वारा जगह चिन्हित करके लगाया जाए जिसके लिए कंपनी प्रतिनिधि श्री पवन सोनी ने वाटर कूलर लगाने की सहमति दी तथा साथ में बताया कि स्कूल में एक क्लाररूम बनाने का प्रयास किया जायेगा।

3. श्री भरत सिंह, ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वारा पूछा गया की कंपनी द्वारा सामाजिक सरोकार के अन्तर्गत कितना खर्च किया जायेगा।

श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा बताया गया कि इसमें कंपनी द्वारा खनन कार्यों से होने वाले कुल लाभ का 2% सामाजिक सरोकार के तहत सम्बंधित गावों में व्यय किया जाता है।

4. श्री गुमान सिंह, सरपंच, ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वारा कहा गया की कंपनी द्वारा 2 वर्ष पूर्व हुई जनसुनवाई में किये वादे आज तक अमल में नहीं लाये गए हैं।

श्री एस.एम. मीना, महाप्रबंधक (ऑपरेशन), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि जिन खानों की जनसुनवाई हुई थी उन खानों में अभी मलवा ही निकाला जा रहा है तथा उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, जब उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा तब सामाजिक सरोकार के अंतर्गत प्रस्तावित खर्चे किये जायेंगे।

श्री सुधीर टाईवाला उपमहाप्रबंधक (ऑपरेशन), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि कंपनी द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में भी राशि जमा कराई जाती है जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त जिन खनन पट्टों के सम्बन्ध में 2 वर्ष पूर्व जन सुनवाई हुई थी उनमें खनन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है जिसे आपको सत्यापित कराया जाएगा।

इसके अतिरिक्त कंपनी प्रतिनिधि द्वारा कहा गया की प्रस्तावित परियोजना में हमारे द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए हैं उनकी अनुपालना रिपोर्ट आपसे सत्यापित कराकर ही सम्बंधित विभाग को भेजी जाएगी।

45
(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

46
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल, कोटा

5. श्री अनिल सिंघल, उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजगण्डी द्वारा बताया गया की जब खनन कार्य पूर्ण हो जाता है तब समर्पण में खान को जमीन तक समतल करके उस पर गिट्टी डालकर पोधारोपण किया जाता है। कंपनी द्वारा समर्पण भाग का समतलीकरण किया गया है अथवा नहीं?

श्री सुधीर टाईवाला उपमहाप्रबंधक (ऑपरेशन), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि कंपनी में अभी खनन कार्य चालू स्थिति में है जब खनन कार्य पूर्ण हो जाएगा तब इसको समतलीकरण करके पोधा रोपण किया जाएगा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि चारागाह भूमि पर भी पोधारोपण किया जा सकता है।

6. श्री सुनील गौतम ने कहा कि कंपनी द्वारा सुकेत गाँव में कोई विकास कार्य नहीं किये जाते हैं।

श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने बताया कि यह प्रस्तावित परियोजना ग्राम लक्ष्मीपुरा, सातलखेड़ी, कुदायला व कुम्भकोट में आती है व इसमें सुकेत गाँव नहीं आता है। अतः पुरानी परियोजना की कोई भी शिकायत है तो अलग से विभाग को प्रेषित कर सकते हैं।

7. श्री मुकेश मीना, सरपंच, ग्राम कुदायला द्वारा कहा गया कि:-

- आस पास की फैक्ट्रीयों द्वारा मलवा कुदायला के नाले में फेंका जा रहा है जिससे वर्षा ऋतू में पानी का भराव हो जाता है जिसके कारण ग्रामवासियों के घरों में पानी भर जाता है।
- कंपनी द्वारा एक गोबर से लकड़ी बनाने वाली मशीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि आस पास के मंदिरों व शमशान घाटों में मुफ्त लकड़ी दे सकें।

➤ श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जो मलवा फैक्ट्रीयों द्वारा नाले में फेंका गया है उसको वर्षा ऋतू से पूर्व हटा दिया जाये तथा आस पास की फैक्ट्रीयों को सख्त निर्देश दिए जाये की नाले में मलवा नहीं डाले अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त फैक्ट्रीया इस परियोजना से सम्बंधित नहीं है।

➤ श्री एस. सी. गुप्ता उपमहाप्रबंधक (मेटेरियल), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि कंपनी के पास भी एक मशीन है जिससे गोबर की लकड़ी बनाई जा रही है जिसे गायत्री मंदिर और रामगंजमंडी शमशान घाट में निशुल्क दी जाती है। आप कंपनी में आकर मशीन का अवलोकन कर ले और यदि यह मशीन इनके उपयोग में आ सके तो कंपनी द्वारा गोशाला के लिए मशीन उपलब्ध करवा दी जायेगी।

8. श्री भरत सिंह, ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वारा सुझाव दिया गया की क्षेत्र में एक किलोमीटर लम्बा नाला है और यदि कंपनी वर्षा पश्चात इसमें पानी छोड़ दे तो इससे इस नाले के बीच में आने वाली लक्ष्मीपुरा के किसानों की 500 बीघा जमीन में फलदार वृक्ष लगाए जा सकते हैं।

श्री एस. एम. मीना, महाप्रबंधक (ऑपरेशन), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया की कंपनी द्वारा बारिश के बाद खान का पानी इस नाले में छोड़ दिया जाएगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

9. ग्राम पंचायत, खान सातलखेड़ी द्वारा प्रस्तुत लिखित आक्षेप के सम्बन्ध में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा कंपनी प्रतिनिधि से उनके मौजूदा खनन पट्टों में अवैध ब्लारिस्टिंग तथा कंपनी द्वारा की जाने वाली सुखी ड्रिलिंग व ब्लारिस्टिंग से उड़ने वाली धूल गिट्टी से होने वाली श्वास सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में पूछा गया।

श्री एस. एम. मीना, महाप्रबंधक (ऑपरेशन), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि यह प्रश्न प्रस्तावित परियोजना से संबंधित नहीं है। कंपनी द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय के द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार के अंतर्गत ही वेट ड्रिलिंग व नियंत्रित ब्लारिस्टिंग की जाती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, इसके लिए कंपनी CIMFR से अध्ययन कराने के बाद दिए उनके सुझावों के अनुसार ही नियंत्रित ब्लारिस्टिंग कर रही है।

10. श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पूछा गया की खनन कार्यों के दौरान यदि कोई अंग भंग अथवा दुर्घटना हो जाये तो उन्हें मुआवजा कैसे दिया जाता है।

श्री पवन सोनी, प्रतिनिधि, ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया की कार्य के दौरान चोट लगने पर कानून के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दे दिया जाता है। दुर्घटना होने पर कानूनन तथा आपसी समझौते के अनुसार मुआवजा का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है।

11. श्री मुकेश गोठवाल, ग्राम सातलखेड़ी द्वारा पूछा गया कि:-

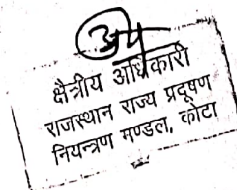
- कंपनी द्वारा एक टैंकर से ही पानी छिडकाव किया जाता है जो अपर्याप्त है।
- कंपनी द्वारा सातलखेड़ी गाँव के लिए क्या किया गया।

- श्री एस. एम. मीना, महाप्रबंधक (ऑपरेशन), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा की कंपनी के पास 4 टैंकर थे जिनमें से 3 टैंकर उपयोग में लेने योग्य नहीं थे इसलिए उनको हटाया गया है, बारिश के बाद आवश्यकता अनुसार टैंकरों की संख्या में वृद्धि करके पानी के छिडकाव की समुचित व्यवस्था कर दी जायेगी।
- श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि प्रस्ताव के अनुसार कंपनी द्वारा स्कूल में दो कम्प्यूटर व प्रिंटर तथा सातलखेड़ी, दुर्जनपुरा व कुदायला में एक-एक वाटर कूलर लगाये जायेंगे। इसके अलावा गांवों में चौपाल के निर्माण सहित 1.50 लाख की राशी तक के कार्य करवाये जायेंगे।

12. श्री गुमान सिंह, सरपंच, ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वारा कहा गया कि:-

- आस पास के गाँव में कंपनी द्वारा सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनवाये जाए जिसके रखरखाव के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाए।
- कंपनी द्वारा पूर्व में मेले का आयोजन कराया जाता था जिसमें सुरक्षा व बिजली की व्यवस्था कंपनी द्वारा कराई जाती थी किन्तु वर्तमान में कंपनी द्वारा मेले का आयोजन नहीं कराया जाता है।

५
(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा



- श्री एस. सी .गुप्ता, उपमहाप्रबंधक (मेटेरियल), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि कंपनी द्वारा पूर्व में भी सार्वजनिक शोचालय बनाए गए थे जो पंचायत द्वारा रख रखाव के आभाव में काम लेने योग्य नहीं रहते हैं तथा कुछ समय पश्चात् इनको तोड़ फोड़ दिया जाता है। फिर भी कंपनी द्वारा प्रस्तावित परियोजना में सार्वजनिक शोचालयों का निर्माण करवाया जायेगा जिसके रख रखाव की जिम्मेदारी स्थानीय पंचायत की होगी।
- श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कंपनी प्रतिनिधियों को शिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन कराये जाने के निर्देश दिए।
- श्री एस. सी .गुप्ता, उपमहाप्रबंधक (मेटेरियल), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि पूर्व की भाँती शिवरात्री मेले में कंपनी द्वारा सुरक्षा व बिजली की व्यवस्था कर दी जायेगी।

उक्त लोक जनसुनवाई के दौरान चार लिखित प्रतिवेदन/सुझाव पत्र प्राप्त हुए हैं, जो सलग्न है (परिशिष्ट-य) जिन पर चर्चा जनसुनवाई के दौरान की गयी।

इसके पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जन सुनवाई आयोजन की समाप्ति की घोषणा की गयी।

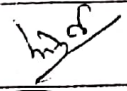
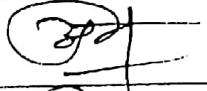
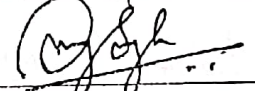
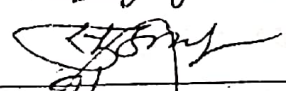
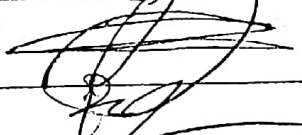
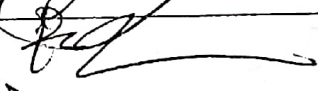
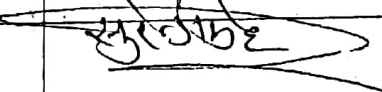
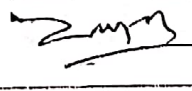
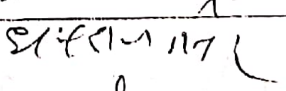
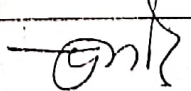
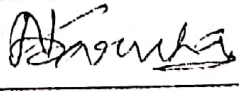
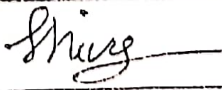

(अमित सैनी)
क्षेत्रीय अधिकारी, कोटा

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा


(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
जिला कोटा राजस्थान
(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Proposed Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project, 08 mining leases having total Cluster Area -- 37.9149 Hectare, Tehsil-Ramganjmandi, District-Kota" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) कोटा की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2024 को समय प्रातः 11:00 बजे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा में आयोजित जन सुनवाई की उपस्थिति पंजिका

क. स.	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
1	Sh. Mukesh Choudhary, ADM, Kota	
2	अमित खोनी, इन्फ्रीय डायरेक्टर श.प्र. नि.म. कोटा	
3	अनुराग सिंह, AEE, RSPCB, Kota	
4	सुषमा कुमारी सरपंच सातलखेड़ी	
5	उमानन्द सरपंच लक्ष्मीपुरा	
6	शिवराज उमाव डूंगरपुरा	
7	जानकीलाल कुमर	
8	सुरेश सिंह,	
9	पृथ्वी नंद कुकीरत	
10	धनराज सिंह	
11	उमोद कुमार	
12	Naveen Singh Nandan Consultant	
13	Shiv Kumar N.S. Dair	

14	Sudhir Kumar Tiwari	<u>Sudhir</u>
15	S. M. Meeng.	<u>S. M.</u>
16	E. C. Gupta	<u>E. C.</u>
17	R. S. Sharma	<u>R. S.</u>
18	B. S. Hada	<u>B. S. Hada</u>
19	Chiranjeev Dal	<u>Chiranjeev</u>
20	Rajal Singh Rajawat	<u>Rajal</u>
21	Surendra K. Patidar	<u>Surendra</u>
22	Vikram Singh Shekharat (Mangalgarh)	<u>Vikram</u>
23	Chirag Gauram	<u>Chirag</u>
24	LOKESH NAMDAN	<u>Lokesh</u>
25	PAVAN SONI	<u>Pavan Soni</u>
26	A. M. Khera. / S. V.	<u>A. M.</u>
27	S. L. Sharma (Sr. mgr. H.K.)	<u>S. L.</u>
28	Upendra Thakur	<u>Upendra</u>
29	Ankur Kumar	<u>Ankur</u>
30	Dharmvir Singh	<u>Dharmvir</u>
31	Kishanu kumar	<u>Kishanu</u>
32	SANJAY KUMAR BAKHAN	<u>S. Bakhan</u>
33	Mukesh Satu	<u>Mukesh</u>

34	धनश्याम संधारिण	धनश्याम
35	जोह 2 वा 1 वा सिद्ध गिरीश्वर	
36	हिरालाल	Hiraloal
37	आशुतोष	Ashtosh
38	सुबोध कुमार	सुबोध
39	दुर्गाशंकर सोनी	दुर्गाशंकर
40	राधेश्याम	Radhesham
41	बलराम	Balram
42	जयप्रकाश	Jayprakash
43	योगेश्वर सिंह झाला	Yogeshwar Singh
44	पद्मेश्वर झा	Padmashwar
45	मनीष माहेश्वरी	Manish
46	सलमान	Salman
47	तारा चन्द	Tara
48	सलमानाबाद	Salmanabad
49	हनुमान	Hanuman
50	श्याम महार	Shyam
51	राधेश्याम शर्मा	Radhesham
52	गोपाल सिंह	Gopal
53	Rajendra Singh	Rajendra

[illegible]

या काबू 19 जोड़ों का एक साथ हुआ निकाह



निशमन कर्मचारी

इटवा @ पत्रिका. नगर में रविवार को मुस्लिम गद्दी लोहार का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। इसमें क्षेत्र से आए 19 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। इज्तिमाही सम्मेलन के सदर एमबी नसरुद्दीन लोहार ने बताया कि इटवा में गद्दी लोहारान का दूसरा सामूहिक सम्मेलन है। इसके पहले समाज का सम्मेलन लगभग 15 साल पहले बाईपास स्थित ईदगाह में हुआ था। सम्मेलन में निकाह होने वाले पर जोड़ों को घरेलू जरूरत का सामान, दुल्हन के जेवर सहित अन्य सामान भेंट किया। सम्मेलन में इटवा सुन्नत जमात कमेटी व सभी इटवा मुस्लिम समाज के लोगों ने सहयोग किया। इज्तिमाही सम्मेलन में इटवा शहर काजी मौलाना इकबाल ने सभी 19



इटवा. सम्मेलन में निकाह कराते हुए।

पत्रिका

जोड़ों को निकाह करवाया। सम्मेलन में सहयोग करने वाले सभी लोगों का मोमेंट तो देकर इस्तकबाल किया गया। सम्मेलन में लगभग 8 हजार साफा बंधवाकर, माला पहनाकर लोग शरीक हुए।

क्षेत्र में या काबू

गिनशमन टीम ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया। आग बुझाने लों में अग्निशमन दल से अब्दुल स्फार, चुन्नी सिंह, संदीप, अमित टी, रवि कुमार लौट, महावीर, नोद, रिया शामिल रहे। वहीं दूसरी वना 6:23 बजे सेंटाब रोड आग सूचना मिली। इस पर दल ने मौके पहुंच कर आग पर काबू पाया।

बस की टक्कर से मोटर साइकिल सवार की मौत

बूढादीत. बड़ौद कस्बे के पास एक बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इससे मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। एएसआई नन्दलाल सैनी ने बताया कि टोंक जिले के रानीपुरा निवासी हेमेश्वर सिंह नरुका (44) कोटा से बड़ौद की ओर आते समय रास्ते में बस ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। उसे सुल्तानपुर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

सेन समाज के लोगों ने निकाली कलश यात्रा



सुल्तानपुर. सेन समाज द्वारा निकाली गई कलशयात्रा।

सुल्तानपुर. नगर में रविवार को सेन समाज द्वारा सेन यंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर नगर के जी मैरिज गार्डन से बैड बाजों के साथ कलश यात्रा शुरू की गई। यात्रा में भाग लेने वाले लोगों ने नगर के मुख्य बाजार में नरकस्तन भोग चौराहा पर मुख्य बाजार में मुख्य बस

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324004
E-mail: rorpcb-kota@gmail.com Ph: 0744-2490873

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स एएस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एएस.आई. हाइस, कुदायला औद्योगिक क्षेत्र, जिला कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Proposed Cluster Kumbhkot, Laximpura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project, 08 mining leases having total Cluster Area 37.9149 Hectare" हेतु प्राथमिक पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। चूंकि, मैसर्स एएस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Proposed Cluster Kumbhkot, Laximpura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project, 08 mining leases having total Cluster Area 37.9149 Hectare, Tehsil & Ramganjmandi, District-Kota" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है: - (1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना झूगरी, जयपुर। (2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा। (4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना झूगरी, जयपुर। (5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा। (6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा। (7) कार्यालय जिला परिषद, रामगंजमण्डी। (8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा। (9) कार्यालय पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा। (10) कार्यालय ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुरा, कुम्भकोट, सातलखेड़ी, कुदायला, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा। अतः सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एवढा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.2024 को "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र", ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा में समय प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप, कोविड-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail: rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना झूगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से-(अमित सोनी)
क्षेत्रीय अधिकारी

CLASSIFIED

CAREER PRESS

Samyak
An Institute For Civil Services

आज से बैच प्रारम्भ
ऑफलाइन व Live From Classroom

RAS **PSI**
FOUNDATION PAPER-1st & 2nd

MX2C+PQ9, Kudayla, Rajasthan 326519

Lat 24.651872° Long 75.971686°

आवेदन किए हैं।
एवं अनिवार्य बाल
अधिकार अधिनियम-
धारा 12 (1) (ग)
राज्य के गैर सरकारी
में प्री-प्राइमरी एवं

ना, मजदूर

श रहेगा

पी नरेगा योजना में
को के लिए अवकाश
निर्देश दिए हैं।

कहा कि 1 मई को
अवकाश रखते हुए 2
को कार्य दिवस रखा

को

न्यायन एवं समन्वय
तीय स्तर समिति की
क मिनी सचिवालय
20 मई 2024 को
आयोजित की जाएगी।

हायता

7 को

जाएगी। जिला शिक्षा
मुख्यालय प्रारम्भिक
शर्मा ने बताया कि
सहायता कार्यक्रम
के लिए गठित जिला
संचालन समिति
गोषाहार संबंधी विभिन्न
चर्चा की जाएगी।

ठक आज

कलक्ट्रेट सभागार में
कार्य 5 बजे आयोजित

अभियंत्रिकी विभाग
अभियंता आलोक
दी।

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण

परिशिष्ट-ब

प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324004
E-mail:-rorpcb.kota@gmail.com 0744-2490873

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ए.एस.आई. हाउस, कुदायला औद्योगिक क्षेत्र, जिला कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Proposed Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project, 08 mining leases having total cluster Area-37,9149 Hectare" हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

चूंकि, मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Proposed Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project, 08 mining leases having total Cluster Area-37.9149 Hectare, Tehsil-Ramganjmandi, District-Kota" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:-

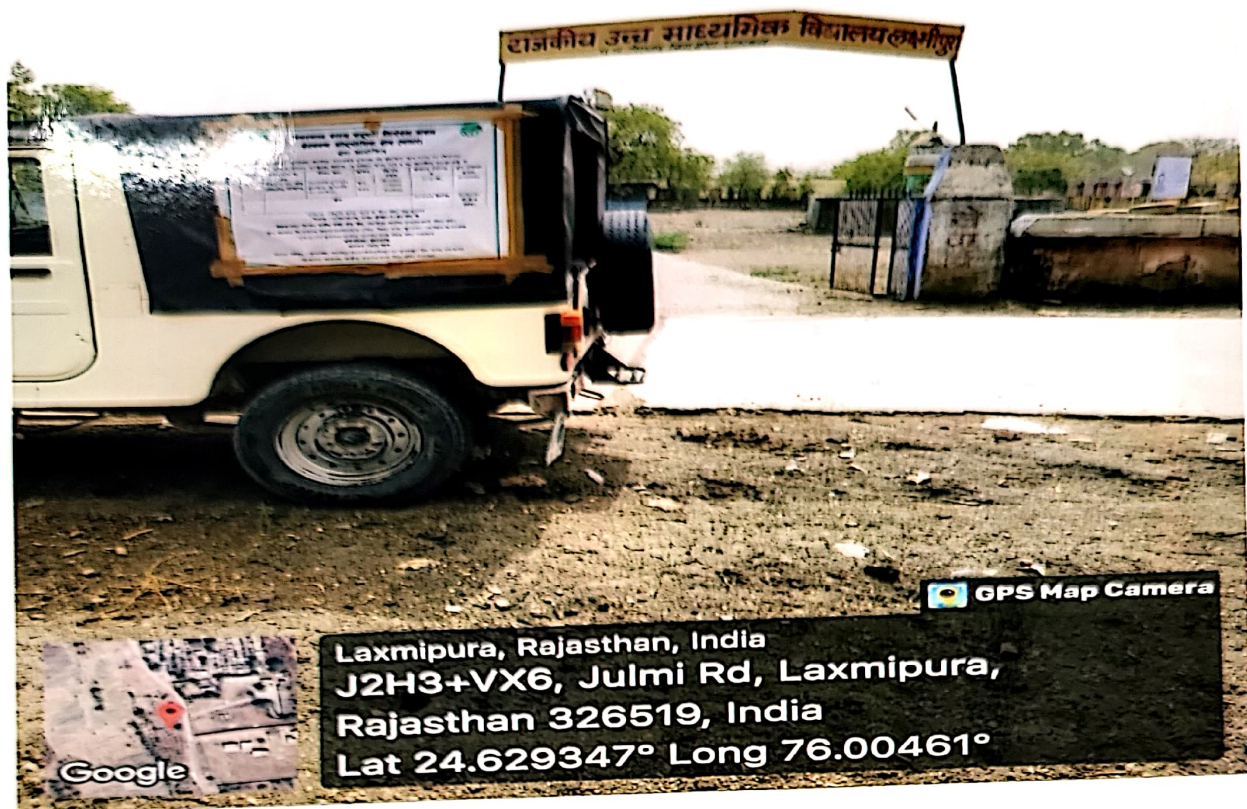
- (1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- (2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
- (3) कार्यालय जिला कलेक्टर, कोटा।
- (4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, ए-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
- (5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
- (6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।
- (7) कार्यालय जिला परिषद, रामगंजमंडी।
- (8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा।
- (9) कार्यालय पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा।
- (10) कार्यालय ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुरा, कुम्भकोट, सातलखेड़ी कुदायला, पंचायत समिति-खैराबाद, तहसील-रामगंजमंडी, जिला-कोटा।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि ये उक्त परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन-सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.2024 को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील-रामगंजमंडी, जिला कोटा में समय प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप, कोविड-19 के संदर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail:-rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी









ग्राम पंचायत, लक्ष्मी

पंचायत समिति खैराबाद, जिला कोटा (राज.)

परिशिष्ट-य

मो. 9799801188

8209900462

(उपसरपंच)

लक्ष्मणसिंह सिसोदिया

निवास : ठि. लक्ष्मीपुरा, जिला कोटा (राज.)



सेवा में,

श्री भाग्य कलक-23 राजा महापुत्र

कोटा (सामान)

दिनांक... 11/6/2024

Cluster Janki...
...

श्री भाग्य जी से निवेदन है कि गांव दुर्जनपुरा के विद्यालय में ए. एस. आर. (कम्पनी) के कर्मचारी गणों ने, गांव दुर्जनपुरा में विद्यालय में एक कमरा बनाने की बात रखा था लेकिन आज एक कम्पनी के कर्मचारीयों ने आज एक उसका निमिष नहीं करवाया है, अतः श्री भाग्य जी से निवेदन है कि जो कम्पनी के कर्मचारीयों ने निमिष करवाने की कही थी उसकी एक कमरे के निमिष की व्यवस्था करवायी जाके लाडि कम्पनी में काम करने वाले आगिकों के बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके सामान्य वाली सदैव आपसे आगिकी रहेगी व एक बार कुलर की भी व्यवस्था की जावे जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के जानी की व्यवस्था हो सके।

लक्ष्मणसिंह
उप-सरपंच
ग्राम पंचायत, लक्ष्मीपुरा
जिला-कोटा (राज.)

ग्राम पंचायत, लक्ष्मीपुरा

पंचायत समिति खैराबाद, जिला कोटा (राज.)

मो. 9799801188

8209900462

(उपसरपंच)

लक्ष्मणसिंह सिसोदिया

निवास : ठि. लक्ष्मीपुरा, जिला कोटा (राज.)



सेवा में,

श्री मान जिला कलेक्टर साह,
कोटा (ग्रामीण)

दिनांक 11/6/2024

Quarter-Jamapur

Asst

for all

11/6/24

सेवा में

श्री मान जिला अधिकारी महोदय,
कोटा (ग्रामीण)

विषय - विद्यालय में ड्रिबबेल व वाटर कुल्ल लगवाने बाबत

निवेदन है कि गांव लक्ष्मीपुरा में कक्षा 1 से

लेकर 12 वीं तक कक्षाएं हैं, जिसमें शास पास के गांवों के बच्चे पढ़ने के लिये आते हैं, लेकिन विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिये बहुत परेशानी होती है। अतः श्री मान जी से निवेदन है कि ए. एस. आई कंपनी के द्वारा एक ड्रिबबेल व वाटर कुल्ल लगवाने की कृपा करें ताकि कंपनी में काम करने वाले लोगों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधा मिल सके ग्रामीण वार्डों में सर्व मापके आभारी रहेंगे।

① कुलपति
नंदरा मेघवाल
रामकृष्ण

लक्ष्मण सिंह
उप-सरपंच
ग्राम पंचायत, लक्ष्मीपुरा
जिला-कोटा (राज.)

पंचायत समिति खैराबाद, जिला कोटा (राज.)

9785934901

ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, जिला कोटा (राज.)



सत्यमेव जयते

सेवा में,

क्रमांक : ग्रा.प./

8/11/2023-2024

24
Tanjung
Satalcedi,
Gampuh

(दिनांक 11/6/2029)

for all
11/6/2024

21-492

उपरोक्त विषय में गांव है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत पांच गांव आते हैं
जो कि सी-न डिमी एम में रखी। पांचों गांव के आसपास व मजदूर आपसी कंपनी में काम करते हैं
लेकिन उनको कोई भी डिमी भी उधार में मालमूल सुविधाएं ASD कंपनी द्वारा
उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं सीने के पास के लिए लोग तरसते हैं, नाली मेडिकल
व्यवस्था है, और नाली डिमांड आदमी के लिए मेडिकल व शैक्षणिक व्यवस्था है
किना सुविधा है कारण डिमांडी व मोर के डिमांड हो जाते हैं, और ASD कंपनी
द्वारा पर्यावरण के लिए नाली कोई पेड़-पौधे लगाए जा रहे हैं और नाली
कोई एक पर्यावरण संयोजन है, कोई व्यवस्था डि गई है, मजदूर के बच्चों
के लिए ASD कंपनी द्वारा आज तक नाली स्कूल गलत बनाना शुरू नहीं
किनी उधार का प्रयास वह कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

इन सब कारों का ध्यान रखते हुए पैयजम व्यवस्था है

चारों ओरों में चार-चार वारर कुल लगाए जाए एवं हरिद्वार स्थित में
काव्यो में पढ़ने के लिए कक्षा-हॉल बनाया जाए एवं नयी काउन्सिलिंग मिशन दिया
जाए तथा पर्यावरण सुधार के लिए पेड-पौधे लगाए जाएं और और शिक्षा
कार्यकारी संस्था/ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा वि. रहेगी।

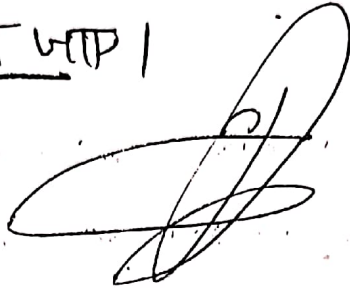
P.T.O.

(૨)

બાળ્યો કે સ્ત્રી-પુરુષ સર્વ ભિન્ન ગતિવિધિયાં કે મિત્ર માર્ગ ગણિ
જનાયાં જાણ, સર્વ મજબૂત કે મિત્ર પોદરીક બાદર કે મિત્ર કિર-ઉપલબ્ધ કાવો
જાણે / ડોર મજબૂતે જા બો મી હુ બન્નારે ડને વિભાયા જાણ સિતો
ડનકે જિવન મે સુશલા આ સુકે ।

ડન સંપૂર્ણ કાર્ક કરવાને કે મિત્ર કાર્કકારી સંસ્થા
ગ્રામ પંચાયત કો હિ સરવા જાણ ।

અન્નપ્રદ



कार्यालय ग्राम पंचायत खान सातलखेडी

पंचायत समिति खैराबाद (जिला कोटा-राज.)

सुषमा कुमारी

सरपंच

Mobile: 83023-81098

निवास

सातलखेडी

तह. रामगंजमंडी जिला कोटा (

क्रमांक/ग्रा.पं./ 394
सेवा में,

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
कोटा (राजस्थान)

विषय:-

ए.एस.आई. (के) लि. कुदायला (रामगंजमंडी) जिला कोटा राजस्थान प्रस्तुत पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत, सातलखेडी की ओर से आपत्ति पत्र प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ :-

RPCB/RO KOTA/Mines-233/210 Dt. 25/04/2024 के सन्दर्भ में।

महोदय,

सादर निवेदन है ए.एस.आई. कम्पनी (के) लि. कुदायला(रामगंजमंडी) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति चाहने हेतु श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, राजस्थान राज्य प्रदू नियंत्रण मण्डल कोटा के कार्यालय में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सातलखेडी की ओर से निम्न आपत्ति पत्र प्रस्तुत करती हूँ :-

1- यह कि ए.एस.आई. (के) लि. कुदायला (रामगंजमंडी) जिला कोटा राजस्थान की एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसकी काफी लम्बा चौड़ा खनन क्षेत्र आवंटित कि हुआ है किन्तु उक्त कम्पनी के अधिकारीयो द्वारा कई बीघा सरकारी चारागाह एवं आबा की भूमि को अपने क्षेत्र में मिलाकर उक्त क्षेत्र में अवैध खनन दोहन किया जा रहा है सरकार को लाखों रुपये की रायल्टी का नुकसान पहुचाया जा रहा है किन्तु इस सम्बन्ध आज तक माइंस विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया तथा अवैध ब्लास्टिंग की जा रही है जिस खान के आस-पास स्थित मकानो को काफी नुकसान पहुँचाया जा रहा हैं कई मकानो दरारे आ चुकी है तथा मकान भी क्षतिग्रस्त चुके है।

2- यह कि कम्पनी द्वारा माइन्स में अवैध रूप से सुखी ड्रिलिंग (ड्रीप हो हेवी ब्लास्टिंग) करने से धुल मिटटी उड़ती हैं जिससे खान क्षेत्र के आस पास रहने वाले कार्य करने वाले श्रमिक को काफी गम्भीर बीमारीयो का सामना करना पड़ रहा है त उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा हैं। पब्लिक पेलेंस, ट्रांसपोर्टेशन रास्ते पब्लिक के म होकर गुजर रहे हे वहाँ पर पानी का छिडकाव नहीं किया जाता जिससे टी.वी. सिलोकोसिस नामक बीमारी से मजदूर व आसपास के निवासी ग्रसित हो चुके हैं।

कार्यालय ग्राम पंचायत खान सातलखे

पंचायत समिति खैराबाद (जिला कोटा-राज.)

सुष्मा कुमारी

सरपंच

Mobile: 83023-81098

दिनांक :

सातलखेड़ी

तह. रामगंजमंडी जिला कोटा।

दिनांक.....

क्रमांक/ग्र.पं./.....

-2-

3- यह कि नियमानुसार गाडीयो मे श्रमिको के द्वारा कोटा स्टोन लोडिंग किया जाता है जिसमे श्रमिक के रूप मे महिला व पुरुष दोनो के द्वारा माल लोड किया जाता है । एक यूनिट का वजन 100-120 किलो तक होता है । इस दौरान अत्यावजन होने की वजह से काफी श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है तथा कई श्रमिक मृत्यु शिकार हो चुके है । वर्तमान मे भी पूरी सम्भावना बनी रहती है ।

4- यह कि माइंस मे बैच की ऊँचाई अधिक होने के कारण रात्रि में ढ करने वाले मजदूरो के ऊपर पत्थर गिरने की घटना बनी रहती है । क्योकि रात्रि में प दिखाई नही देते है । जिससे मजदूरो की जान का खतरा बना रहता है ।

5- यह कि माइंस क्षेत्र में ऊपरी भाग में पत्थर गिरने से रोकथाम हेतु ढ बाउण्डरीवाल नही है जिससे कार्य करते हुये मजदूरो पर पत्थर गिरने का भय बना रहता

6- यह कि रात्रि मे पत्थर मे कट लगाने के लिये झीरी मशीने चलाई ज है तब इलेक्ट्रिक सुपरवीजन पावर सप्लाई को चैक करने के लिये ओर उनका मेन्टेने देखने के लिये कोई प्रशिक्षित कर्मचारी नही रखा हुआ है । इस कम्पनी द्वारा माइंस मे अ तरीके से रात्रि में माइंस में श्रमिको द्वारा कार्य करवाया जाता है तथा माइंस में अवैध तर से झिरी मशीने एवं शावल मशीने, आदि को चलाते हैं । उक्त मशीने चलाये जाने से का ध्वनि प्रदूषण , वायु प्रदुषण होता है तथा रात्रि में माइंस पर श्रमिको के साथ दुर्घटना ह का पूरा-पूरा अंदेशा बना रहता हैं ।

7- यह कि डम्पर जब मलबा खाली करने हेतु डम्पिंग यार्ड मे जाता है ढ पर लाईट की कोई व्यवस्था नही है । इस कारण रात्रि में कई बार डम्पर गिर चुके है त दुर्घटना हो चुकी हैं । खान क्षेत्र मे रात्रि के समय दुर्घटना होने पर कोई फस्टएड हेतु क प्रशिक्षित कम्पाउण्डर नियुक्त नही है ।

8- यह कि कम्पनी द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य कर माइंस के निय का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा हैं । जब कोई भी जॉच अधिकारी यहाँ पर ज हेतु आता है तो कम्पनी द्वारा रात्रि के समय माइंस मे कार्य को बंद कर दिया जाता है त माइंस के रास्ते पर पानी छिडकाव कर दिया है ।

-3-

कार्यालय ग्राम पंचायत खान सातलखेडी

पंचायत समिति खैराबाद (जिला कोटा-राज.)

सुषमा कुमारी

सरपंच

Mobile : 83023-81098

निवास :

सातलखेडी

तह. रामगंजमंडी जिला कोटा।

दिनांक.....

क्रमांक/प्र.पं./.....

-3-

9- यह कि कार्यरत श्रमिकों के लिये रेस्ट सेन्टर व स्वच्छ पानी पीने कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

10- यह कि सातलखेडी माइंस, लक्ष्मीपुरा माइंस, कुम्भकोट माइंस, सु माइंस में मात्र एक ही एम्बुलेस है।

11- यह कि कम्पनी द्वारा अवैध खनन कार्य करने के कारण भारी मात्रा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तथा पेड़ पौधों को काफी नुकसान हो रहा है तथा कम्पनी द्वारा हरे भरे वृक्षों को मलबे के नीचे दबा दिया गया है।

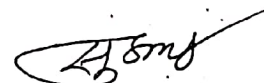
12- यह कम्पनी द्वारा गहराई में खनन कार्य करने के कारण आस पास गांव को जल स्तर समाप्त हो गया है तथा गांव सातलखेडी में पीने के पानी की समस्या बनी रहती है तथा हेण्ड पम्प पानी की जगह हवा फेंक रहे हैं।

13- यह कि कम्पनी द्वारा श्रमिक बस्ती में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।

अतः श्रीमान की सेवा में आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत सातलखेडी की ओर से आपत्ति दर्ज करने की कृपा करें।

दिनांक:-

-: प्रार्थीया :-



सुषमा कुमारी

सरपंच

ग्राम पंचायत सातलखेडी तह. रामगंजमंडी
जिला कोटा (राज.)

मो.नं. 9829609993, 8302381098

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
- 2- श्रीमान उपपरवण्ड अधिकारी महोदय, रामगंजमंडी।